

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)
अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2022/59422/MRG/MAHARAJGANJ/158/CFO

दिनांक: 29-09-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SENT JOSEPH SCHOOL** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **ARAZI NO-576,NICHLAUL,MAHARAJGANJ** तहसील - **NICHLAUL** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	9.90 mt.

तथा प्लॉट एरिया **4468 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **SENT JOSEPH SCHOOL** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक व्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **30-09-2025** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **REJI AC** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-09-2025** से **29-09-2028** तक **3** वर्षों के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

Note : पुर्व में निर्गत प्रमाण पत्र व निम्न उप बन्धो के अधीन निर्गत हैं।

1-अर्ह अभिकर्ता से 02 वर्ष में न्यूनतम 01-बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर इस विभाग को प्रेषित करें।

2-विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य हैं।

3-नियत प्राधिकारी द्वारा भवन के स्वीकृत कराये गये मानचित्र के अनुसार समस्त प्रावधान रखना वांछनीय होगा।

4-स्कूल में वार्षिक समारोह में लगने वाले पाण्डाल तथा अतिरिक्त भवन अधिभोग/निर्माण हेतु विभागीय स्वीकृति ली जायें।

5-शा0 दिनांक 07.01.2022 एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम 2022 एवं नियमावली-2024 के अनुसार निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

VIJAYPRAKAS TRIPATHI

8B8F826EEEDF270C6588C79A5CCD89B53F0F3A01

30-09-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 30-09-2025

स्थान : MAHARAJGANJ

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.